

**समस्त उप निबंधक,
मुजफ्फरनगर।**

अवगत कराना है कि उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि माह मार्च 2010 में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी नियमित रूप से कार्यालय खोलकर विलेखों के पंजीकरण आदि का कार्य किया जाये। यह भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि माह मार्च 2010 में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान न की जाये।

अतः उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च 2010 में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी नियमित रूप से कार्यालय खोलकर विलेखों के पंजीकरण आदि का कार्य किया जाये। यह भी निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च 2010 में आप स्वयं अवकाश पर नहीं जायेंगे तथा अपने अधीनस्थ कर्मिकों का भी कोई अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे।

यह भी अवगत कराना है कि उ०प्र० सरकार कर एवं निबंधन अनुभाग-5 की अधिसूचना सं० क०नि०-5-1072/11-2010-500(100)/08 लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2010 द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जिला पंचायत, सूडा, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम, स्थानीय निकाय, औद्योगिक आस्थानों अर्थात् सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों को प्रदत्त स्टाम्प शुल्क में छूट की अवधि 31, मार्च 2010 तक बढ़ा दी गयी है। अतः यह भी निर्देशित किया जाता है कि स्थानीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिकाधिक लोग इसका लाभ उठा सकें एवं राज्य सरकार को परिणामी राजस्व की प्राप्ति हो सकें।

(निरन्जन कुमार)

सहायक महानिरीक्षक निबंधन,
जनपद-मुजफ्फरनगर।

संख्या व दिनांक यथोक्तः

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी मु०नगर को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. उप महानिरीक्षक निबंधन सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मु०नगर/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मु०नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उपाध्यक्ष मु०नगर विकास प्राधिकरण।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जनपद मु०नगर को इस आशय से कि जनपद मु०नगर की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
6. सम्पत्ति प्रबंधक/सहायक अभियंता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद मु०नगर।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक यू०पी०एस०आई०डी०सी० मेरठ।
8. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मु०नगर।
9. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र मु०नगर।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद मु०नगर।
11. समस्त सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति जनपद मु०नगर।
12. परियोजना अधिकारी डूडा मु०नगर।
13. जिला सूचना अधिकारी जनपद मु०नगर को 05 प्रतियों में इस आशय से कि स्थानीय समाचार पत्रों-अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, मु०नगर बुलेटिन तथा रायल बुलेटिन में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
14. मुख्य निबंधन लिपिक/रिकार्ड कीपर, केन्द्रीय अभिलेखागार जनपद मु०नगर को अनुपालनार्थ।

(निरन्जन कुमार)

सहायक महानिरीक्षक निबंधन,
जनपद-मुजफ्फरनगर।